

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :- वर्ष 2017-18 में Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) के तहत मुजफ्फरपुर जिला में रेशम कीटपालन द्वारा अनुसूचित जाति परिवार के सशक्तिकरण के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर से प्राप्त केन्द्रांश राशिरू० 1,00,69,000/- (एक करोड़ उनहतर हजार) मात्र से संबंधित मैचिंग राज्यांश राशि रू० 11,34,200/- (ग्यारह लाख चौतीस हजार दो सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2017-18 में Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) के तहत मुजफ्फरपुर जिला में रेशम कीटपालन द्वारा अनुसूचित जाति परिवार के सशक्तिकरण के लिए प्राप्त केन्द्रांश राशिरू० 1,00,69,000/- (एक करोड़ उनहतर हजार) मात्र से संबंधित मैचिंग राज्यांश राशि रू० 11,34,200/- (ग्यारह लाख चौतीस हजार दो सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्नांकित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रदान करने की कृपा की है -

Sl. No.	Name of the Scheme/ Component	Physical Target (No.)	Unit Cost (Rs.)	Central share (Rs. in lakh)	State share (Rs. in lakh)
1	Assistance to Eri Private Grainures	1	2,33,000	1.86	0.233
2	Assistance to Eri Adopted Seed Reares	4	16,000	0.51	0.064
3	Assistance to Eri plantation with start up tools	100	6,250	5.00	0.625
4	Assistance to Eri Rearing House	100	1,00,000	80.00	10.00
5	Assistance to solar operated spinning machine	20	21,000	3.36	0.42
5	Training	125	3,500	4.38	
6	Study tour	25	2,500	0.63	
7	Information, Education and communication			4.95	
Total				100.69	11.342

(ग्यारह लाख चौतीस हजार दो सौ) मात्र

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू० 11,34,200/- (ग्यारह लाख चौतीस हजार दो सौ) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0105 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23- 2851007890105 के अन्तर्गत विषय शीर्ष -0105.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध प्राप्त है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), मुजफ्फरपुर होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर द्वारा निर्गत SCSP Guideline (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार सहायक उद्योग निदेशक (रे०), मुजफ्फरपुर के द्वारा किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, विहार, पटना होंगे। वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं कार्यान्वयन पदाधिकारियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर महालेखाकार को भेजेंगे।
6. यह राज्यादेश संचिका संख्या-३०/योजना (SCSP) - 4/2016 के पृष्ठ 24/टि० पर दिनांक - 16.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
7. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, विहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, विहार, पटना।

ज्ञापांक- ३०/योजना (SCSP) -4/16

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, विहार, पटना।

ज्ञापांक- ३०/योजना (SCSP) -4/16

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि- सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, विहार, पटना।

ज्ञापांक- ३०/योजना (SCSP) -4/16

1165

पटना,दिनांक-

19-03-18

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, विहार, पटना/उद्योग निदेशक, विहार, पटना/निदेशक, ह०/०, विहार,पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, विहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, विहार, पटना को तथा आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, विहार, पटना।

२६